समाहरणालय, मधेपुरा

(शस्त्र शाखा)

-: आदेश :-

श्री जयन्त कुमार ''नाहटा'', पे0-स्व0 धर्मचन्द ''नाहटा'', ग्रा0+पो0+थाना-बिहारीगंज, जिला- मधेपुरा के नाम से एक दो नाली बन्दूक अनुज्ञप्ति संख्या 173/3139 प्राप्त है, जिस पर शस्त्र संख्या-04661/49 धारित है। इनके व्यवस्थापक श्री भंवर दान, वास्ते स्व0 जयन्त कुमार ''नाहटा'', ग्रा0+पो0+थाना-बिहारीगंज, जिला-मधेपुरा द्वारा सूचित किया गया है कि श्री जयन्त कुमार ''नाहटा'' की मृत्यु दिनांक 09.12.2013 को हो चुकी है। स्व0 नाहटा के नाम पर धारित दो नाली बन्दूक सम्प्रति बिहारीगंज थाना के सनहा संख्या- 276, दिनांक 12.11.2013 द्वारा बिहारीगंज थाना के मालखाना में जमा है।

उपरोक्त वर्णित स्थिति में शस्त्र अधिनियम की धारा 17 (6) के तहत् श्री भंवर दान से प्राप्त आवेदन पत्र के आलोक में श्री जयन्त कुमार ''नाहटा'', पे0-स्व0 धर्मचन्द ''नाहटा'', ग्रा0+पो0+थाना-बिहारीगंज, जिला- मधेपुरा के मृत्यु उपरान्त इनके नाम से निर्गत एक दो नाली बन्दूक की अनुज्ञप्ति संख्या 173/3139 को **रद्द** किया जाता है तथा शस्त्र अधिनियम की धारा 21 (1) के तहत् बिहारीगंज थाना के मालखाना में जमा किए गये शस्त्र संख्या-04661/49 को सुरक्षित जमा रखने की घटनोत्तर अनुमति प्रदान की जाती है।

थानाध्यक्ष, बिहारीगंज को निदेश दिया जाता है कि वे मृतक अनुज्ञप्ति के वारिसान से मूल अनुज्ञप्ति पुस्त एवं थाना मालखाना में जमा किए गए शस्त्र को पावना रसीद की एक प्रति जिला शस्त्र दण्डाधिकारी, मधेपुरा को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे ताकि अनुज्ञप्ति पुस्त एवं पंजी पर नियमानुसार इन्द्राज किया जा सके।

जिला शस्त्र दंडाधिकारी, मधेपुरा को निदेश दिया जाता है कि वांछित कागजात प्राप्त होने के उपरान्त उक्त आशय की प्रविष्टि संबंधित अनुज्ञप्ति पंजी में कराते हुए अपना हस्ताक्षर पृष्ठांकित कर देंगे।

इसकी सूचना संबंधितों को दी जाए।

ह0/-
जिला दण्डाधिकारी,
मधेपुरा।

ज्ञापांक 374/शस्त्र, मधेपुरा, दिनांक-26/10/2015

प्रतिलिपि : पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : अनुमण्डल दण्डाधिकारी, उदाकिशुनगंज/थानाध्यक्ष, बिहारीगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, मधेपुरा को मधेपुरा जिला के वेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : श्री भंवर दान, व्यवस्थापक स्व0 जयन्त कुमार ''नाहटा'', ग्रा0+पो0+थाना-बिहारीगंज, जिला- मधेपुरा को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

जिला दण्डाधिकारी,
मधेपुरा।